कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न० (0135) 2713552

संख्या– 2715/XXV––12(9) /2018 देहरादून : दिनांक 17 जुलाई, 2019

सेवा में,

श्री अनिल सिंह रावत,
पुत्र श्री हरी सिंह रावत,
ग्राम घंडियाल,
पोस्ट–नैथाना,
जिला पौड़ी–गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–1341 दिनांक 17 जुलाई 2019 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 9 जुलाई 2019 इस कार्यालय में दिनांक 17 जुलाई 2019 को प्राप्त हुआ है। आप द्वारा विन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में मांगी गयी वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्त की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001

भवदीय,

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या 2715 /XXV–12(9)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, देहरादून को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

(डी0पी0डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

प्राप्त – 17/7/2019

30

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–1341 /रा0नि0आ0–1/2658/2019 दिनांक 17 जुलाई, 2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री अनिल रावत पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह रावत, ग्राम–घंडियाल, पोस्ट–नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड का सूचना अनुरोध–पत्र दिनांक 09.07.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त हुआ है। अनुरोधकर्ता के उक्त अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अनुरोध–पत्र के **बिन्दु संख्या–03** में चाही गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

17/7/19
(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2658/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री अनिल रावत पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह रावत, ग्राम–घंडियाल, पोस्ट–नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन–246175 को सूचनार्थ।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

331
16/7/19

श्री नयाल जी को

प्रेषक: अनिल रावत
पुत्र स्व० श्री हरीसिंह रावत
ग्राम- घंडियाल पो० नैथाना,
जिला पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड - 246175

सेवा में,

16/7/19 प्रो० कोठारी अनु सचिव निर्वाचन आयोग

दिनांक 09/07/2019

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001

विषय: लोक सूचना अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्रेषित कराने के विषय में

मान्यवर,

उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के खण्ड विकास, कल्जीखाल के अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव हेतु जो मतदाता सूची बनायी जा रही है उससे हम सन्तुष्ट नहीं है, क्यों कि जो बहार के व्यक्ति इस खंड विकास के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं है अर्थात उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर रखा है ये लोग कई वर्षों से यहां पर निवास कर रहे है तथा विभिन्न व्यवसाय मे कार्यरत है इनके बच्चे भी यहां पर कई वर्षों से शिक्षारत है। उपरोक्तानुसार निम्न सूचना प्रेषित करने की कृपा करें।

341/आर०टी०आई/19

1) क्या किसी भारतीय नागरिक को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है?

1.0

2) खंड विकास, कल्जीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जो व्यक्ति अपना व्यवसाय चला रहा है या कई वर्षों से यहां पर कार्यरत है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सकता है, जैसे यू० पी०, बिहार, तथा अन्य क्षेत्रों से आये हुए लोग कई वर्षों से यहां पर निवास करते हैं तथा उनके बच्चे भी यहां पर शिक्षारत हैं, क्या इन व्यक्तियों का नाम पंचायत निर्वाचन सूची मे दर्ज नहीं हो सकता है?

7-19 शेखरी भट्ट निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड

B 10 100

3) क्या मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया है या नहीं बताने का कष्ट करें।

6/7/19

4) इस क्षेत्र मे जो अन्य प्रदेशों के लोग कई वर्षों से यहां पर कार्यरत है तथा उनका नाम अपने प्रदेश की लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायतों की मतदाता सूची मे दर्ज नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची मे दर्ज नहीं हो सकता है बताने का कष्ट करें। आप अपने स्तर पर व्यापक जांच करने के उपरान्त इन व्यक्तियों का नाम पंचायत मतदाता सूची मे दर्ज करने की कृपा करें अन्यथा समझा जायेगा कि इन व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है।

संलग्नक: 10/- रु० का भारतीय पोस्टल आर्डर 11GF 356729 रु० 10/-

भवदीय
(अनिल रावत)